



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 20.12.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ ऑपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप 03 अभियुक्तों को 02-02 वर्ष के कारावास व 01-01 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया।

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन पर चलाए जा रहे अभियान #OperationConviction के तहत थाना मटौन्ध पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 100/14, 136/14, 137/14 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की प्रभावी विवेचना एवं पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 20.12.2024 को मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों 1- शिव विजय सिंह पुत्र अमन सिंह नि0 ग्राम मोहनपुरवा थाना मटौन्ध , 2- जगरूप सिंह उर्फ जग्गु पुत्र स्व0 राम सिंह , 3- वीरा यादव पुत्र दशरथ निवासी मोहनपुरवा थाना मटौन्ध को 02-02 वर्ष के कारावास व 01-01 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया।



अभियोजक
श्री सुशील कुमार



विवेचक
उ0नि0 श्री वृद्धि चन्द्र गौतम



कोर्ट मोहरीर
म0आ0 निशा



पैरोकार
आ0 विजय कुमार